28-2-17 वादी व प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC हेतु रिजेक्ट करने वाद का पेश किया। प्रतिवादी वकील ने अपने प्रार्थना मे जाहिर किया कि राजस्व गांव मोहनपुरा के खसरा सं. 98 रकबा 58-17 बीघा अवाप्तशुदा होना बताकर उक्त खसरे के नये खसरा नं. 207/98 तथा 208/98 क्रमशः रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा 39.03 बिस्वा होना बताकर, वाद सं. 9 (31) मे तरमीम जो नामान्तरकरण सं. 262 की पुश्त पर बिना कोई विधिक आदेश की गई है, निरस्त फरमायी जाकर माफिक नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार नक्शा ट्रेस मे तरमीम फरमायी जाने का आदेश फरमाने का अनुतोष चाहा।

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पर विशेष विशेष विधि मे विशेष प्रावधान हो। उस स्थिति मे सामान्य प्रावधान के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। राजस्व नक्शा मे/जहां ट्रेस मे तरमीम की प्रविष्टियां दर्ज-करवानी हो या तरमीम की गलत प्रविष्टियां दर्ज हो, तो दुरुस्त करने बाबत राजस्व विधि मे राजस्व भू-राजस्व अधिनियम 1956 मे विशेष प्रावधान यानि 131 RLR Act का प्रावधान किया गया है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	वर्तमान प्रकरण में यह स्थिति स्वीकृत है कि दोनों पक्षकारों यानि वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 की खातेदारिया व खाता संख्या भी जुदा-जुदा है और इसी अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त है।
	राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमी के हिस्सो को लेकर कोई अशुद्धि त्रुटि नही है तथ्य स्वीकृत है, नक्शा जरीब ट्रेस में कोई तरमीम अंकित नही है, तरमीम को हटाने एवं परिशिष्ट अ अनुसार तरमीम करने का अनुतोष चाहा है। ऐसा अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत या 53 के तहत प्रदान नही किया जा सकता है। क्योंकि उसका विशेष विधि के तहत प्रावधान प्रावधित है इस कारण वादी का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से रिजेक्ट किये जाने हेतु योग्य है। आवेदन पत्र प्रतिवादी सं० 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से रिजेक्ट किया जावे।
	उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी वकील ने बिन्दुवार प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भू-राजस्व अधिनियम व राज० काश्तकारी अधिनियम दोनो ही विशिष्ट विधि के अन्तर्गत आते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवारा एवं भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तरमीम दुरुस्ती हेतु एक ही दावा में निस्तारण किया जा सकता है। दावा किसी तरह से वर्जित नही है। प्रतिवादी ऐसा उज्र अपने जवाब दावा के माध्यम से लेकर प्राथमिक तनकी बना कर तय करवा सकता।
	प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में दोनो पक्षो के वकीलो की बहस को सुना गया। पत्रावली के अवलोकन व अध्ययन तथा संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन करने पर तथ्य सामने आया है कि वादी ने वर्तमान वाद पत्र बंटवारा, रेकर्ड तरमीम दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत किया है संलग्न जमाबंदी खतौनी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की जमाबंदी खतौनी अलग-2 खसरा संख्या 207/98 208/98 है। बंटवारा के वाद हेतु दोनो पक्षकारो का सह खातेदार-टिनेन्ट होना आवश्यक है जबकि वर्तमान वाद में ऐसा तथ्य नही है। जंहा तक तरमीम का प्रश्न है तरमीम गलत है उसे दुरुस्त करवाने का प्रश्न है, तरमीम को दुरुस्त करवाने हेतु विशेष विधि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रावधान है। विधि अनुसार जहां पर विशेष विधि मे विशेष प्रावधान है वहां जनरल विधि में प्रकरण चलने योग्य नही रहता है वादी तरमीम के संबंध में कोई विवाद रखता है तो इस बाबत सक्षम न्यायालय में सक्षम विधि में कानूनी कारवाई कर सकते है। वर्तमान प्रकरण में वादी कोई सहायता पाने का अधिकारी प्रतीत नही होता है।
सहायक कलेक्टर (T.O.) बालोतरा	

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) [illegible]

Scanned by CamScanner